

(याचिका का हिन्दी संस्करण)

याचिका संख्या जीटी/2024

2019-24 तक की अवधि के लिए सलाल पावर स्टेशन के टैरिफ के ड्रॉइंग-अप हेतु याचिका और 2024-29 की अवधि के लिए सलाल पावर स्टेशन के टैरिफ हेतु याचिका

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

NHPC Limited

(A Government of India Navratna Enterprise)



A Navratna Company

खंड-1

वाणिज्यिक विभाग

एनएचपीसी कार्यालय परिसर

सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा) -121003

(अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच असंगति या विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक के समक्ष

आयोग, नई दिल्ली

याचिका संख्या /जीटी/2024

इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3) , 35(2) के तहत **सलाल पावर स्टेशन** के संबंध में टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु टैरिफ के टूड़ंग अप हेतु याचिका ।

और इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8) एवं 91 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत सलाल पावर स्टेशन के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका ।

याचिकाकर्ता:

एनएचपीसी लिमिटेड,

(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,

फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003.

प्रतिवादी (गण):

1. अध्यक्ष ,
पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,
द मॉल, काली बाड़ी मंदिर के पास, पटियाला – 147 001 (पंजाब)
ईमेल: seisbbspcl@gmail.com
फ़ोन नंबर : 9646121804
2. हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र,
शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकुला-134109 (हरियाणा)।
ईमेल: cehppc@uhbvn.org.in
फ़ोन नंबर 9316274614
3. अध्यक्ष ,
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल : spatcircle2010@gmail.com
फ़ोन : 0522-2287827, 9415005911
4. मुख्य अभियंता एवं सचिव,
इंजीनियरिंग विभाग, प्रथम तल ,
यूटी चंडीगढ़, सेक्टर 9-डी,
चंडीगढ़ – 160 009
ईमेल: elop2-chd@nic.in
फ़ोन: 8054104521
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
ईमेल: megha.bajpeyi@relianceada.com
फ़ोन: 9313819851
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली - 110 072
ईमेल: sameer.singh@relianceada.com ; prem.kumar@relianceada.com

फ़ोन: 8010618255

7. मुख्य परिचालन अधिकारी,
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
पूर्ववर्ती नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग,
हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली – 110 009।
ईमेल: anurag.bansal@tatapower-ddl.com
फ़ोन: 9971393919.
8. अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड,
विद्युत भवन, कुमार हाउस, शिमला-171004 (हिमाचल प्रदेश),
फ़ोन : 0177-2801265
ईमेल : cemm@hpseb.in;cecomm@hpseb.in
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, देहरादून - 248 001 ((उत्तराखंड)
ईमेल: CGMUPCL@YAHOO.COM
फ़ोन: 7533967111
10. प्रबंध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल),
विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302 005 (राजस्थान)
फ़ोन : 91-141-2741134; ईमेल : md@jvvl.org
11. प्रबंध निदेशक,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस,
हट्टी भट्टा, जयपुर रोड, अजमेर - 305 001 (राजस्थान)
फ़ोन : 0145 2644551,
ईमेल : avvn10145@yahoo.com , seitajm.avvnl@rajasthan.gov.in
12. प्रबंध निदेशक,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस,
औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर – 342 003 (राजस्थान)
फ़ोन : 0291-2651200;

ईमेल : cs.jdvvn1@rajasthan.gov.in

13. प्रधान सचिव,
विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय,
जम्मू (जम्मू और कश्मीर)- 180 001
ईमेल : sqmjkspdcll@gmail.com ; फ़ोन : 9419156100.

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)
महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद

तारीख : 28.11.2024

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
खंड - I		
1.	सामान्य शीर्षक (General Heading)	1-4
1.	अनुक्रमणिका	5
2.	याचिका	6-36
3.	शपथ पत्र एवं अधिकार पत्र	37-41
4.	अनुलग्नक:	
अनुलग्नक -I	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	42-201
अनुलग्नक -II	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	202-277
अनुलग्नक - III	याचिका संख्या 229/GT/2020 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) टैरिफ आदेश दिनांक 13.02.2023	278-395
अनुलग्नक - IV	याचिका संख्या 229/GT/2020 के समीक्षा याचिका क्रमांक. 11/आरपी/2023 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) का दिनांक 02.08.2024का टैरिफ आदेश	396-439
अनुलग्नक - V	लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रभावी दर प्रमाणपत्र	440-449
खंड -II		
अनुलग्नक -VI	बीमा दावे के समर्थन में दस्तावेज़-सीपीएम और मेगा बीमा पॉलिसी	450-712
अनुलग्नक -VII	मेसर्स करम चंद थापर एंड ब्रदर्स (सीएस) लिमिटेड (ठेकेदार) और एनएचपीसी के बीच पंचाट निर्णय का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेज	713-775
अनुलग्नक -VIII	मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी के बीच पंचाट निर्णय का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेज	776-844
अनुलग्नक -IX	2019-21 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	845-1057
खंड -III		
अनुलग्नक -IX	2021-24 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	1058-1515
अनुलग्नक -X	485वीं एनएचपीसी निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त और बोर्ड एजेंडा नोट	1516-1525
अनुलग्नक -XI	2019-24 के दौरान पूंजीगत पुर्जों के खपत का विवरण	1526-1529
अनुलग्नक -XII	प्रतिवादी (गण) को भेजे गए ईमेल का प्रमाण (केवल CERC के लिए)	

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3),35(2) और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के सही निर्धारण के लिए इसके बाद के संशोधन और सलाल पावर स्टेशन के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8) एवं 91 और और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत याचिका।

(ए) याचिका का कार्यकारी सारांश

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे आगे 'एनएचपीसी' कहा जाएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी है। इसके अलावा, यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के तहत परिभाषित एक 'जनरेटिंग कंपनी' है। एनएचपीसी के पावर स्टेशनों से उत्पादित बिजली उसके लाभार्थियों को आपूर्ति की जा रही है।
2. क्रमांक संख्या 1 से 13 पर वे प्रतिवादी उल्लिखित हैं जो सलाल पावर स्टेशन (6 x115=690 मेगावाट) के लाभार्थी हैं तथा जो हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार इस पावर स्टेशन से बिजली प्राप्त कर रहे हैं और अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।
3. सलाल पावर स्टेशन (6 x115=690 मेगावाट) (जिसे आगे "सलाल" पावर स्टेशन कहा जाएगा) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है तथा इसका 01.04.1995 को वाणिज्यिक संचालन घोषित किया गया है। एनएचपीसी वाणिज्यिक संचालन के बाद से इस पावर स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर रही है।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने वाली उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ए) के तहत माननीय आयोग को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।
5. माननीय आयोग द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के अनुसार याचिका संख्या 255/जीटी/2020 में दिनांक 13.02.2023के आदेश के तहत टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए सलाल का टैरिफ निर्धारित किया गया है।
6. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के समक्ष समीक्षा याचिका क्रमांक 11/आरपी/2023 दायर की है। माननीय आयोग द्वारा दिनांक 02.08.2024 आदेश के तहत समीक्षा याचिका संख्या 11/आरपी/2023 का निपटान किया गया।
7. माननीय आयोग के दिनांक 13.02.2023के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने माननीय APTEL के समक्ष 2024 का अपील संख्या 478 दायर की है।
8. उपर्युक्त अपील (2024 का 478) के 2014-19 और 2019-24 की अवधि के लिए पावर स्टेशन के टैरिफ पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा, माननीय आयोग से अनुरोध है कि 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ को दू अप करते समय और 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देते समय उक्त अपील के परिणाम पर विचार करने का कष्ट करें।
9. याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं:

01.04.1995	सलाल पावर स्टेशन का सीओडी
------------	---------------------------

28.10.2019	2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के हेतु टैरिफ याचिका संख्या 229/जीटी/2020 दाखिल करना
13.02.2023	याचिका संख्या 229/जीटी/2020 (अनुलग्नक-III) में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टूइंग-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टैरिफ आदेश जारी होना
28.03.2023	याचिका संख्या 229/जीटी/2020 के 13.02.2023के टैरिफ आदेश में समीक्षा याचिका 11/आरपी/2023 दाखिल करना।
02.08.2024	समीक्षा याचिका 11/आरपी/2023 में टैरिफ आदेश दिनांक 13.02.2023में याचिका संख्या 229/जीटी/2020 (अनुलग्नक-IV) में आदेश जारी करना।

दावों का सारांश:

(टूइंग अप याचिका- 2019-24)

पूंजीगत लागत :

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 13.02.2023 के आदेश द्वारा नेट अतिरिक्त अनुमत पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	1057.38	482.23	1182.95	1940.53	1403.78

इस याचिका में दावा किया गया नेट वास्तविक ऐड कैप	1,308.61	184.08	347.63	156.54	424.64
---	----------	--------	--------	--------	--------

वार्षिक नियत लागत (एएफसी) :

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 13.02.2023 के आदेश द्वारा अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	36377.01	37483.15	38687.98	40170.54	41741.44
तत्काल याचिका में दावा किया गया वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	37193.83	38212.44	39214.74	41867.09	44733.53

(टैरिफ याचिका- 2024-29)

पूंजी लागत:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत (Opening Capital Cost)	103939.4 0	104894.7 3	108359.5 7	108662.7 2	110699.66

वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	955.32	3,464.84	303.15	2,036.94	51.22
समापन (closing) पूंजी लागत	104894.7 3	108359.5 7	108662.7 2	110699.6 6	110750.88

वार्षिक नियत लागत (एएफसी):

(₹ लाख में)

विवरण (Particular)	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
वार्षिक नियत लागत (एएफसी) का दावा	38534.34	40343.70	42219.41	44007.37	45921.10

(बी) विस्तृत याचिका

भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूटिंग अप (अनुलग्नक-I)

- माननीय आयोग ने, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, याचिका संख्या 229/जीटी/2020 (अनुलग्नक-III) में अपने आदेश दिनांक 13.02.2023 के तहत टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए सलाल पावर स्टेशन का टैरिफ निर्धारित किया है।

2. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 13.02.2023 के आदेश के तहत अनुमत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और गैर पूंजीकरण (देयताओं के निर्वहन सहित, यदि कोई है) का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति (ए)	1315.74	520.66	1383.77	2146.53	1594.11
अनुमत पूंजी विनिवेश (बी)	258.36	38.43	200.82	206.00	190.33
दायित्वों)का निर्वहन (सी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (डी)=(ए)-(बी)+(सी)	1057.38	482.23	1182.95	1940.53	1403.78

3. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 13.02.2023 के आदेश के तहत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल्यहास	1947.47	2003.96	2059.16	2176.96	2313.29
ऋण पूंजी पर ब्याज	108.90	35.88	0.00	0.00	0.00
इक्विटी पर रिटर्न	9453.95	9482.20	9519.39	9596.47	9683.24
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	1204.26	1170.64	1137.14	1186.67	1237.31

प्रचालन और रखरखाव खर्चे (O & M Expenses) सुरक्षा को मिलाकर	23662.44	24790.47	25972.28	27210.44	28507.60
वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	36377.01	37483.15	38687.98	40170.54	41741.44

4. वर्तमान याचिका, वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, इक्विटी पर रिटर्न की सकल कर दर, आधार दर, ऋण पर ब्याज दर, कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर के आधार पर टैरिफ के टू-अप के लिए सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के नियम 13, 25, 26, 31 (3), 34 (3), 35 (2) (सी), 65 (7) और 65 (8) के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप के लिए माननीय आयोग के 13.02.2023 के टैरिफ आदेश के तहत निर्देश के अनुसार दायर की जा रही है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका निम्नलिखित कारणों से दायर की गई है:

ए. सीईआरसी द्वारा जारी दिनांक 13.02.2023 के आदेश के अनुसार, अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और 2019-24 के दौरान सलाल द्वारा किए गए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में भिन्नता है। इसके अलावा, सीईआरसी द्वारा अनुमत कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (संबंधित विलोपन सहित) नहीं किया गया है/नहीं किया जाना है और इसलिए इस याचिका में वास्तविक स्थिति का खुलासा/दावा किया जा रहा है।

बी. कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था, परंतु साइट विशेष की आवश्यकताओं के कारण (specific site requiremets), पावर स्टेशन द्वारा वहन किया गया जो संयंत्र के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण को टैरिफ के लिए आधारभूत पूंजी (capital base) के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सी. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 31(3) के अनुरूप 2019-24 की अवधि के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर दर' के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न की सकल दर का टूइंग अप करने हेतु।

डी. ऋण पूंजी पर ब्याज (IOL) की गणना के लिए ऋण पूंजी पर ब्याज की दर एवं इक्विटी पर रिटर्न (कट-ऑफ तिथि के बाद मूल दायरे से परे अतिरिक्त पूंजीकरण पर इक्विटी के लिए) की गणना का टूइंग अप करने हेतु।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज (IOWL) की गणना के लिए आधार दर (टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर + 350 आधार अंक) का टूइंग अप करने हेतु।

एफ. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियमन 35(2)(सी) के अनुसार वास्तविक सुरक्षा व्यय और पूंजीगत पुर्जों की खपत हेतु दावा करना।

6. टैरिफ के लिए दावा किए गए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण 2019-24 की अवधि के लिए books के अनुसार वास्तविक पूंजीगत परिवर्धन से प्राप्त किया गया है। इसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ए	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	1,506.26	239.38	345.01	193.18	84.45
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर-पूंजीकरण	197.65	55.30	50.25	38.80	14.40

सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharges)	0.00	0.00	52.87	2.16	354.58
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	1308.61	184.08	347.63	156.54	424.64

7. कुछ अतिरिक्त पूंजीकरण, जिनका दावा पहले याचिका संख्या 229/GT/2020 में नहीं किया गया था और जो जनरेटिंग स्टेशन के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये कार्य पावर स्टेशन के साइट की आवश्यकता के अनुसार किए गए हैं और 2019-24 की अवधि के लिए पुस्तकों (books) में पूंजीकृत किए गए हैं। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 26 के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में विस्तृत औचित्य के साथ फॉर्म 9A में किया गया है, क्योंकि व्यय के दावे के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया जनरेटिंग स्टेशन के टैरिफ के उद्देश्य से इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।

8. छोटी संपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि के प्रकृति की कुछ वस्तुएं, जिन्हें सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के नियमन 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार कट ऑफ तारीख के बाद टैरिफ के उद्देश्य से पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, को अप श्रेणी (फॉर्म 9डी) के तहत रखा गया है। ऐसी वस्तुओं को हटाने को फॉर्म 9बी(i) में भी बहिष्करण श्रेणी में रखा गया है क्योंकि टैरिफ के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा संबंधित सकारात्मक प्रविष्टियों की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह याचिका संख्या 229/GT/2020 में दिनांक 13.02.2023 के आदेश के पैरा-44 से 45 में माननीय आयोग के निर्णय के अनुरूप भी है। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि टैरिफ के उद्देश्य से ऐसी प्रविष्टियों को बाहर रखा जाए / अनदेखा किया जाए।

9. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, सीईआरसी द्वारा दिनांक 13.02.2023 के आदेश के तहत पहले से ही अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण और तत्काल याचिका में दावा किए गए 2019-24 हेतु शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 13.02.2023 के आदेश द्वारा अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	1057.38	482.23	1182.95	1940.53	1403.78
इस याचिका में दावा किया गया शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण	1,308.61	184.08	347.63	156.54	424.64

10. पूंजीगत लागत: सीईआरसी द्वारा समीक्षा याचिका संख्या 11/आरपी/2023 (अनुलग्नक-IV) के दिनांक 13.02.2023 के आदेश में उपरोक्त अतिरिक्त पूंजीकरण और ₹ 101517.90 लाख (31.03.2019 तक) की प्रारंभिक पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक पूंजी लागत	343242.07	343390.98	343714.24	344100.45	345049.27
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	148.91	323.26	386.21	948.82	1,600.60

समापन पूंजी					
लागत (closing capital cost)	343390.98	343714.24	344100.45	345049.27	346649.86

11. वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना:

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित विधि से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट है:

ए. इक्विटी पर रिटर्न (ROE):

- (i) सलाल एक ROR प्रकार का पावर स्टेशन है, अतएव इक्विटी पर रिटर्न (ROE) की गणना के लिए आधार दर (base rate) 31.03.2019 तक किए गए व्यय और कट-ऑफ तिथि से परे मूल दायरे में किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 30(2) के अनुसार 15.5% की दर पर विचार किया गया है।
- (ii) मूल सीमा से परे और कट-ऑफ तिथि के बाद किए गए व्यय के लिए, उत्पादन स्टेशन की भारित औसत ब्याज दर को आरओई की गणना के लिए आधार दर माना गया है। पावर स्टेशन के लिए कोई वास्तविक ऋण बकाया नहीं है। इसलिए, सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 30(2) और 32(5) के अनुसार 7.42% की अंतिम उपलब्ध ब्याज दर ली गई है।
- (iii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019 के विनियमन-31(3) के अनुसार टैरिफ अवधि (अनुलग्नक-V) के विभिन्न वर्षों के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर' दर के साथ जोड़ा गया है। इसका विवरण अनुबंध-1 के फॉर्म-1(ii) अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

बी. मूल्यहास:

चूंकि सलाल पावर स्टेशन ने पहले ही अपने उपयोगी जीवन काल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन काल पर शेष मूल्यहास मूल्य का प्रसार सीईआरसी टैरिफ

विनियम, 2019 के विनियम 33(5) के अनुरूप माना गया है। इसके अलावा, याचिका संख्या 229/जीटी/2020 में समीक्षा याचिका संख्या 11/आरपी/2023 में सीईआरसी के आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुसार 31.03.2019 तक वसूले गए शुद्ध संचयी मूल्यहास 245788.60 लाख पर विचार किया गया है और 2019-24 की अवधि के लिए मूल्यहास की वास्तविक ऐड कैप के अनुसार पुनर्गणना की गई है।

सी. ऋण पर ब्याज:

इस परियोजना के लिए वास्तविक ऋण पहले ही चुकाया जा चुका है। इसलिए, भारत औसत ब्याज दर 7.42% यानी अंतिम उपलब्ध ब्याज दर मानी गई है। तदनुसार, ऋण पर ब्याज की गणना सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 32(5) के अनुरूप टैरिफ अवधि 2019-24 के सभी वर्षों में की गई है।

डी. प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses):

टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु सलाल पावर स्टेशन के लिए लागू मानक प्रचालन एवं रखरखाव पर खर्च (O&M Expenses) पहले ही माननीय आयोग द्वारा सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें व नियम) विनियम, 2019 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है और साथ ही आयोग ने टैरिफ आदेश दिनांक 13.02.2023 में भी इसकी अनुमति दी है। मानक प्रचालन एवं रखरखाव पर खर्च पहले ही माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 229/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 13.02.2023 के तहत वास्तविक सुरक्षा व्यय (फॉर्म-17 का अनुलग्नक-I) के साथ पूंजीगत पुर्जों (capital spares) की वास्तविक खपत (अनुलग्नक-XI), सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 35(2)(सी) के अनुसार किया गया है। वेतन संशोधन और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभाव को पहले ही सीईआरसी द्वारा याचिका संख्या 229/जीटी/2020 में दिनांक 13.02.2023 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है, जिसे ओएंडएम व्यय के तहत माना गया है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि इसे अनुमति दी जाए।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 34(3) के अनुसार टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को बैंक दर (1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर + 350 बीपी) पर विनियमन 34(1)(सी) के अनुसार मानक आधार पर की गई है।

12. ऊपर पैरा-10 और पैरा-11 में उल्लिखित पूंजी लागत और मापदंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए संशोधित वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना की है। सीईआरसी द्वारा 13.02.2023 के आदेश के तहत अनुमत एएफसी का विवरण और याचिकाकर्ता द्वारा गणना की गई और तत्काल याचिका में दावा किया गया विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
13.02.2023 के आदेश द्वारा अनुमत एएफसी	36377.01	37483.15	38687.98	40170.54	41741.44
वर्तमान याचिका में दावा किया गया ए.एफ.सी.					
मूल्यहास	1975.03	2027.69	2047.14	2067.03	2090.92
ऋण पर ब्याज	99.90	33.30	0.00	0.00	0.00
इक्विटी पर रिटर्न	9587.17	9688.24	9660.31	11082.07	11259.08
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	1234.21	1193.34	1153.32	1215.78	1496.83

प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पर व्यय	24297.52	25269.87	26353.98	27502.22	29886.70
दावा किया गया वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	37193.83	38212.44	39214.74	41867.09	44733.53

तत्काल याचिका में दावा किए गए एएफसी और दिनांक 13.02.2023 के आदेश के अनुसार अनुमत एएफसी के बीच अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 13 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।

13. सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुरूप एनएचपीसी के चालू पावर स्टेशनों के संबंध में फाइलिंग शुल्क का भुगतान अप्रैल माह के दौरान सीईआरसी को वर्ष दर वर्ष आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है। सलाल पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 के दौरान भुगतान किए गए टैरिफ फाइलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	राशि (रु. में)
2019-20	30,36,000/-
2020-21	30,36,000/-
2021-22	30,36,000/-
2022-23	30,36,000/-
2023-24	30,36,000/-

कुल	151,80,000/-
-----	--------------

इस प्रकार भुगतान किया गया टैरिफ फाइलिंग शुल्क टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2024 के अनुरूप प्रतिवादियों से वसूला जा रहा है।

14. उपरोक्त टैरिफ में कोई भी वैधानिक कर, levies, duties, उपकर, प्रभार या किसी भी अन्य प्रकार का अधिरोपण (imposition) शामिल नहीं है, जो किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी अधिनियम या विनियमन के माध्यम से विद्युत उत्पादन, auxiliary consumption सहित या किसी अन्य प्रकार का consumption , विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाया/प्रभारित किया गया हो।
15. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि के रूप में देय ऐसे करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि की राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 56 के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा याचिकाकर्ता को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
16. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्ध सहबद्ध मामले) विनियम, 2019 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी (ULDC) शुल्क शामिल नहीं हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 57 और 70(3) के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जा सकेंगे।

भाग -बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका (अनुलग्नक-II)

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26 36(2) और 91 के अनुसार याचिकाकर्ता को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ-साथ 2019-24 की अवधि के लिए टूइंग अप याचिका 30.11.2024 तक प्रस्तुत करनी होगी। सीईआरसी टैरिफ विनियमन के विनियमन 9(2) और 12 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“9 टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन

.....

(2) विद्यमान उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई, या पारेषण प्रणाली या उसके घटक के मामले में, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, द्वारा आवेदन केविआ (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के अनुसार, पहले से स्वीकृत और दिनांक 31.3.2024 तक व्ययित अतिरिक्त पूंजी लागत (वास्तविक या अनुमानित पूंजी लागत के आधार पर) सहित स्वीकृत पूंजी लागत और 2019-24 की अवधि के लिए टूअप याचिका के साथ 2024-29 की तारीफ अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित के आधार पर दिनांक 30.11.2024 तक किया जा सकता है”

“12 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूइंग अप

2019-24 की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशनों, एकीकृत खदानों और पारेषण प्रणालियों के टैरिफ को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार टू ड अप किया जाएगा। 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ अवधारणा के लिए 1.4.2024 को प्रारम्भिक पूंजी लागत का आधार, टू इंग अप के आधार पर 31.3.2024 को स्वीकृत पूंजी लागत का आधार बनेगा।

इसके अलावा, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियमन 10(1) के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रासंगिक टैरिफ फॉर्म (सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न) के अनुसार

याचिका दायर करनी है, जिसमें टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का विवरण शामिल है।

2. वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टू-अप, प्रासंगिक टैरिफ प्रपत्र और अनुलग्नक इस याचिका के साथ **भाग-ए** के अंतर्गत संलग्न है।
3. चूंकि परियोजना की कट-ऑफ तिथि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए 2024-29 की अवधि के लिए अनुमानित अतिरिक्त क्षमता का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 25 और 26 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
4. टूइंग अप याचिका (भाग-ए) के आधार पर 31.03.2024 तक समापन पूंजी लागत रुपये 346649.86 लाख थी, जिसका उपयोग टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ की गणना के लिए 01.04.2024 तक प्रारंभिक पूंजी लागत के रूप में किया गया है।
5. इस याचिका में विचारित टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय का विवरण अनुलग्नक-II के फॉर्म-9ए में दिया गया है। इसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
ए	वर्ष/अवधि के दौरान संवृद्धि	1,214.13	4,247.81	435.00	2,261.00	60.00
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर पूंजीकरण	282.55	782.97	131.85	224.06	8.78
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharge)	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	955.32	3,464.84	303.15	2,036.94	51.22

6. पूंजीगत लागत: उपरोक्त अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और रुपये 103939.40 लाख की प्रारंभिक पूंजी लागत (01.04.2024 तक) को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत	103939.40	104894.73	108359.57	108662.72	110699.66
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	955.32	3,464.84	303.15	2,036.94	51.22
समापन पूंजी लागत	104894.73	108359.57	108662.72	110699.66	110750.88

7. वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना:

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर, टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट है:

ए. इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):

- (i) सलाल पावर स्टेशन एक आरओआर प्रकार का संयंत्र है, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की गणना के लिए आधार दर को टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-25 के तहत अनुमानित पूंजीगत व्यय के लिए 15.5% माना गया है और टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-26 के तहत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए 1 अप्रैल 2024 को एक वर्ष का एसबीआई एमसीएलआर प्लस 350 आधार अंक माना गया है।

(ii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-31(1) के अनुरूप 01.04.2024 को प्रचलित एमएटी दर के साथ जोड़ दिया गया है, जिसे बाद में "प्रभावी कर" दर के आधार पर सही किया जाएगा।

बी. मूल्यहास:

चूंकि सलाल पावर स्टेशन ने पहले ही अपने उपयोगी जीवन काल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन काल को 40 वर्ष मानते हुए सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 33 के अनुरूप पावर स्टेशन के शेष मूल्यहास मूल्य की गणना शेष उपयोगी जीवन काल पर विस्तारित करके की गई है।

सी. ऋण पर ब्याज:

इस परियोजना के लिए वास्तविक ऋण पहले ही चुकाया जा चुका है। इसलिए, भारत औसत ब्याज दर 2.524% यानी अंतिम उपलब्ध ब्याज दर मानी गई है। तदनुसार सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियमन 32 के अनुरूप टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए ऋण पर ब्याज की गणना की गई है।

डी. प्रचालन व रखरखाव व्यय (ओएंडएम व्यय):

टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए सलाल पावर स्टेशन के लिए लागू ओएंडएम व्यय को पहले ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) के तहत माननीय आयोग द्वारा पावर स्टेशन के पिछले वर्षों के वास्तविक ओएंडएम व्यय के आधार पर अधिसूचित किया जा चुका है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) का प्रासंगिक अंश

"36 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय:

(2) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन:

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27	वित्त वर्ष 2027-28	वित्त वर्ष 2028-29
सलाल	17208.43	18149.34	19141.69	20188.30	21292.14

.....

(ग) हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्राप्त सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स एवं बीमा व्यय की अनुमति विवेकपूर्ण जांच के बाद पृथक रूप से दी जाएगी:

बशर्ते यह कि उत्पादन स्टेशन उसके अनुमानित व्यय के साथ सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स और बीमा व्यय का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे, जिसे समुचित स्पष्टीकरण के साथ उपभोग किए गए वर्षवार वास्तविक पूंजी व्यय, वास्तविक बीमा और व्ययित सुरक्षा व्यय के विवरणों के आधार पर टूड अप किया जाएगा।

तदनुसार, 2024-29 के लिए अनुमानित सुरक्षा व्यय का दावा 2023-24 के दौरान वास्तविक सुरक्षा व्यय के आधार पर 2024-25 से 5.47% की दर से बढ़ाकर किया गया है। 2024-25 के लिए बीमा व्यय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए बीमा लागत के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा इस लागत को 2025-26 से 2028-29 तक 5.47% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का परियोजनावार ब्यौरा और प्रतिस्पर्धी बोली से संबंधित दस्तावेज़ अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं- VI पूंजीगत पुर्जों की खपत का दावा वास्तविक खपत के आधार पर टूडंग अप करने के समय किया जाएगा। अनुमत ओएंडएम व्यय के अतिरिक्त दावा किए गए ओएंडएम व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29

स्वीकृत मानक ओ एंड एम व्यय	17208.43	18149.34	19141.69	20188.30	21292.14
अनुमानित सुरक्षा व्यय (बी)	3188.90	3363.33	3547.30	3741.34	3945.99
अनुमानित बीमा व्यय (सी)	5001.3	5274.90	5563.44	5867.76	6188.72
पूँजीगत पुर्जों की खपत (घ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ओ एंड एम व्यय (ई = ए + बी + सी + डी)	25398.66	26787.57	28252.43	29797.40	31426.86

तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह 2024-29 की अवधि के लिए उपरोक्त ओएंडएम व्यय की अनुमति प्रदान किया जाए। 2024-29 के दौरान सुरक्षा व्यय, पूँजीगत पुर्जों की खपत और बीमा व्यय के कारण वास्तविक व्यय टैरिफ के टू इंग अप करने के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

ई. कार्यशील पूँजी पर ब्याज

कार्यशील पूँजी पर ब्याज की गणना विनियमन 34(1)(डी) के अनुसार मानक आधार पर और सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 34(3) के अनुसार 01.04.2024 के संदर्भ दर पर की गई है।

8. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के आधार पर 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए सलाल पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक नियत लागत (एएफसी) निम्नानुसार है: (अनुलग्नक-II का फॉर्म-1 देखें)।

(रुपये लाख में)

एएफसी घटक	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
मूल्यहास	2148.25	2366.41	2614.43	2757.49	2914.44
ऋण पर ब्याज	0.00	26.28	26.28	0.00	0.00

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	9716.86	9827.75	9922.39	9981.22	10033.47
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	1270.58	1335.69	1403.89	1471.25	1546.34
प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses)	25398.66	26787.57	28252.43	29797.40	31426.86
वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	38534.34	40343.70	42219.41	44007.37	45921.10

9. मध्यस्थता/न्यायालय मामले:

ए. मेसर्स करम चंद थापर एंड ब्रदर्स (सीएस) लिमिटेड (ठेकेदार) और एनएचपीसी के बीच "सलाल जलविद्युत परियोजना, चरण- II में टेल रेस टनल-II आउटलेट पैकेज का निर्माण" कार्य के निष्पादन के लिए मध्यस्थता के मामले में:

एकमात्र मध्यस्थ श्री ठाकर दास से मिलकर बने मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) द्वारा दिनांक 09.09.2000 (अनुलग्नक-VII) को ठेकेदार के पक्ष में 1,94,32,794/- रुपये की राशि और 02.11.1992 से भुगतान की तिथि तक 21% की दर से ब्याज के लिए एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया था। एनएचपीसी ने इस अवार्ड को दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष चुनौती दी थी (याचिका संख्या ARB.P.30BJ/2004)। एनएचपीसी द्वारा दायर याचिका संख्या ARB.P.30BJ/2004 के संबंध में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 11.02.2010 के निर्णय के तहत ठेकेदार के दावों को सीमाओं के कारण छोड़कर मध्यस्थता अवार्ड को रद्द कर दिया था। इसके बाद, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) के समक्ष ठेकेदार द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.02.2010 को पारित निर्णय/आदेश को चुनौती देने पर, माननीय

उच्च न्यायालय (डबल बेंच) ने दिनांक 16.05.2024 के निर्णय के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 11.02.2010 को पारित विवादित निर्णय को रद्द कर दिया एनएचपीसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.05.2024 के निर्णय को चुनौती देते हुए एक एसएलपी दायर की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से सीमा और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए 21% की अत्यधिक ब्याज दर के आधार पर निर्णय दिया गया था।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 20.09.2024 के आदेश के माध्यम से विवादित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया है और एनएचपीसी की एसएलपी को खारिज कर दिया है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.09.2024 के आदेश को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है और दिनांक 09.09.2000 के मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 02.11.1992 से भुगतान की तिथि तक 21% की दर से ब्याज के साथ 1,94,32,794/- रुपये की मूल राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, 1,94,32,794/- रुपये की मूल राशि और 13,07,02,045/- रुपये ब्याज के रूप में यानी कुल राशि रु। 15,01,34,839/- की धनराशि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 11.11.2024 को न्यायालय के निर्देशानुसार जमा कर दी गई है (प्रमाण अनुलग्नक-VII के रूप में संलग्न है)।

मध्यस्थता निर्णय के आधार पर 2010-11 के दौरान “410607 / टेलरेस टनल (मध्यस्थता निर्णय)” शीर्षक के अंतर्गत 2,35,13,681/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था और माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 71/GT/2013 में दिनांक 20.11.2013 के आदेश के तहत इसकी अनुमति दी गई थी। चूंकि 2010-11 के दौरान 2,35,13,681/- रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका था और इसकी अनुमति दी गई थी, इसलिए 2,35,13,681/- रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया था। 40,80,887/- को वापस कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में डी-कैपिटलाइजेशन के तहत दावा किया गया है (वित्त वर्ष 2024-25 के अनुलग्नक-II के फॉर्म-9बी(i) में दर्शाया गया है)।

वर्ष 2010-11 से स्वीकृत मूलधन के लाभ के समायोजन के पश्चात रु. 13,07,02,045/- की ब्याज राशि, सी.ई.आर.सी. विनियम, 2024 के विनियम 91 के अनुसार प्रतिपूर्ति के माध्यम से वसूल की जानी है। मूलधन के लाभ के समायोजन के पश्चात देय ब्याज की विस्तृत गणना अतिरिक्त सूचना के रूप में अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

माननीय आयोग से अनुरोध है कि मूलधन के उपरोक्त उपचार की अनुमति दी जाए तथा सी.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 91 के अनुसार ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए।

बी. मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड (ठेकेदार) और एनएचपीसी के बीच “सलाल जलविद्युत परियोजना की टेल रेस सुरंग का निर्माण” कार्य के निष्पादन के लिए मध्यस्थता के मामले में।

ठेकेदार मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड ने उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिए उठाए गए विवादों (एपी) के कारण लागत का दावा किया।

04.01.2005/28.02.2005 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत के माध्यम से कुल राशि 21.75 करोड़ रुपये (मूलधन: 8.33 करोड़ रुपये और ब्याज: 13.42 करोड़ रुपये निर्णय की तारीख तक 12% की दर से गणना) और मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड के पक्ष में निर्णय की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12% की दर से आगे ब्याज का आदेश दिया है। एनएचपीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2010-11 में लेखा पुस्तकों में 8.33 करोड़ रुपये की मूल राशि का प्रावधान किया गया था और 2009-14 टैरिफ अवधि में टैरिफ के माध्यम से इसका दावा किया गया है। इसके अलावा, सीसीईए और ओएम संख्या 14070/14/2016-पीपीपीएयू दिनांक 05.09.2016 (निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उपाय-रेग) के निर्णय के अनुसार, एनएचपीसी को बैंक गारंटी (बीजी) के खिलाफ ठेकेदार को कुल भुगतान (यानी ऐसे पुरस्कार के अनुसार देय ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि, यदि कोई हो) के 75% के बराबर राशि का भुगतान करना आवश्यक था, जो चुनौती के तहत मामले में अदालत के अंतिम आदेश के अधीन था। एनएचपीसी ने पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, नीति आयोग के ओएम के अनुसार, रु। 41.41 करोड़ (जिसमें मूल राशि के अलावा 33.08 करोड़ रुपये की ब्याज राशि शामिल है) का भुगतान ठेकेदार मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को 15.01.2020 को बीजी के विरुद्ध किया गया, जो 31.10.2017 तक कुल भुगतान का 75% है। मौजूदा सीईआरसी विनियमों के अनुसार, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियम 91 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को 33.08 करोड़ रुपये की ब्याज राशि प्रतिपूर्ति की जानी है। वर्तमान में मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार की प्रति, अदालती मामले से संबंधित दस्तावेज

और ठेकेदार को भुगतान का प्रमाण **अनुलग्नक-VIII** के अनुसार संलग्न है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया ठेकेदार को भुगतान की गई 33.08 करोड़ रुपये की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दें।

10. 31.10.2017 तक के पोस्ट अवार्ड ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि का भुगतान ठेकेदार मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को 15.01.2020 को कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को पहले से वितरित ब्याज राशि के लिए टैरिफ में लाभ नहीं दिया गया है। यदि मामला पहले सुलझ जाता, तो याचिकाकर्ता को संवितरण की तारीख से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर संवितरण की तारीख से 31.03.2024 तक मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार @MCLR+350bp पर 15.46 करोड़ रुपये की ब्याज राशि की गणना की है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया इसे अनुमति दें।

11. वर्ष 2024-25 (टैरिफ अवधि 2024-29 का पहला वर्ष) के लिए 30,36,000/- रुपये की फाइलिंग फीस सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुसार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। सीईआरसी को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा, टैरिफ अवधि 2024-29 के शेष वर्षों के संबंध में फाइलिंग शुल्क याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त सीईआरसी विनियम के अनुपालन में संबंधित वर्ष की 30 अप्रैल तक जमा किया जाएगा। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे।

12. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता सलाल पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ याचिका की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। इसके लिए प्रकाशन का प्रमाण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से प्रकाशन व्यय की वसूली की अनुमति प्रदान करें।

13. उपर्युक्त टैरिफ प्रस्ताव में किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा विद्युत उत्पादन सहायक उपभोग (auxiliary consumption) सहित अथवा किसी अन्य प्रकार के उपभोग जैसे कि विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध इसके

किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाए गए/प्रभारित किए गए किसी भी वैधानिक कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रकार के अधिरोपण शामिल नहीं हैं।

14. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी आदि के रूप में देय राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाएगी तथा एनएचपीसी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा तथा प्रतिवादियों द्वारा उनके द्वारा देय वार्षिक क्षमता प्रभार के अनुपात में इसे देय किया जाएगा।
15. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर- राज्यिक पारेषण प्रभारों हानियों हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/ NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94 के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जाएंगे।

भाग-सी: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कमी का दावा

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 का विनियम 65(8) उत्पादक कंपनी को टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए shortfall का दावा करने की अनुमति देता है, जिसे इस विनियम के विनियम 65(7) के अनुसार वसूल किए जाने वाले टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका है। विनियमों का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“65. जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान:

.....

(7) यदि वर्ष के दौरान हाइड्रो उत्पादन स्टेशन की बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम है, उत्पादन स्टेशन तत्काल आगामी वर्ष में डीएसएम ऊर्जा के लिए समायोजन के बाद छः बराबर ब्याजमुक्त मासिक किस्तों में ऊर्जा प्रभार में कमी की प्रत्यक्ष रूप से वसूली कर सकता है और टैरिफ अवधि के अंत तक टूटिंग अप के अधीन होगा।

परंतु यह कि

(8) टैरिफ अवधि 2019-24 के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम रही बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के कारण ऊर्जा प्रभारों में कोई कमी, जो उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से

बाहर थी और जिसे उक्त टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका, इस विनियम के खंड (7) के अनुसार वसूल की जाएगी।

2. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक एनएचपीसी ने सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 44(7) के अनुरूप वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए shortfall की याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए shortfall याचिकाएं सीईआरसी में दायर नहीं की जा सकीं क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए जारी नहीं किया गया था।
3. इसलिए, एनएचपीसी ने विनियम 65(8) और 65(7) के अनुरूप एनएचपीसी के कुछ पावर स्टेशनों के लिए सितंबर 2024 के महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी किया है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम (final) आरईए प्राप्त न होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में shortfall का बिल आज तक नहीं जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए प्राप्त होने पर, एनएचपीसी संबंधित पावर स्टेशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी करेगा। Final REA प्राप्त होने के बाद ऊर्जा शुल्क में shortfall को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 65(8) और 65(7) के अनुसार टूट अप किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति (detail submission) तत्काल याचिका में अतिरिक्त जानकारी के रूप में की जाएगी।

प्रार्थना

भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूटिंग अप

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम-13 के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए सलाल पावर स्टेशन के टैरिफ में संशोधन हेतु अनुमति प्रदान करें।
2. जैसा कि ऊपर पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित है, ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की कृपया अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के दिनांक 13.02.2023 के आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2019-24 के दौरान साइट विशिष्ट की आवश्यकताओं के कारण खर्च किए गए थे।
3. उपरोक्त पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के सीईआरसी विनियम 2019 के विनियम 26 के अंतर्गत संयंत्र के सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझा गया था।
4. उपरोक्त पैरा-8 (भाग-ए) में उल्लिखित टैरिफ के प्रयोजन के लिए छोटी परिसंपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की प्रकृति वाली वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टियों के अपवर्जन (exclusion) करने की अनुमति प्रदान करें।
5. पैरा-9 (भाग-ए) में किए गए दावा के अनुसार शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
6. पैरा-11 (ए) भाग-ए) में उल्लिखित के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए 'प्रभावी कर' इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की सकल दर के आधार पर टूटिंग अप करने की अनुमति प्रदान करें।

7. प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के अंतर्गत पैरा-11 (डी) में दावा किए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें।
8. सलाल पावर स्टेशन के वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना और दावा क्रमशः वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए ₹ 37193.83 लाख , ₹ 38212.44 लाख , ₹ 39214.74 लाख , ₹ 418867.09 लाख और ₹ 44733.53 लाख रुपये किया गया है, जैसा कि ऊपर पैरा-12 (भाग-ए) में उल्लिखित है। माननीय आयोग कृपया उपरोक्त एएफसी की अनुमति दे। दावा किए गए एएफसी और याचिका 257/जीटी/2020 में सीईआरसी के आदेश दिनांक 13.02.2023 द्वारा अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 13(4) और इसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।
9. जैसा कि ऊपर पैरा-14 से 16 (भाग-ए) में उल्लेख किया गया है कि एनएचपीसी को प्रतिवादियों को लेवी, कर, शुल्क, उपकर, प्रभार, फीस आदि, यदि कोई है के लिए बिल करने की अनुमति प्रदान करें।

भाग-बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

10. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम-10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए सलाल पावर स्टेशन के टैरिफ की अनुमति प्रदान करें।
11. पैरा-5 एवं 6 (भाग-बी) में दावा के अनुसार 2024-29 की अवधि के लिए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
12. पैरा-7(डी) (भाग-बी) में दावा के अनुसार सुरक्षा व्यय एवं प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें।

13. पैरा-9 और 10 (भाग-बी) में दावा किए अनुसार मध्यस्थता राशि की अनुमति दें।
14. जैसा कि ऊपर पैरा-8 (भाग-बी) में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए नियत वार्षिक लागत की क्रमशः ₹ 38534.34 लाख , ₹ 40343.70 लाख, 42219.41 लाख , ₹ 44007.37 लाख और ₹ 45921.10 लाख के रूप में गणना की गई है। माननीय आयोग कृपया इन नियत वार्षिक लागत (एएफसी) की अनुमति दें। दावा किए गए एएफसी और सीईआरसी द्वारा 13.02.2023 के आदेश (2023-24 की अवधि के लिए) के तहत अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 10(6) और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूलने/वापस करने की अनुमति प्रदान करें।
15. पैरा-11 [भाग-बी] में उल्लिखित के अनुसार इस याचिका के दाखिल करने के शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।
16. पैरा-12 [भाग-बी] में उल्लिखित अनुसार टैरिफ याचिका में नोटिस के प्रकाशन पर अवधी 2024-29 में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।
17. जैसा कि ऊपर पैरा-13 से 15 (भाग-बी) में उल्लिखित है कि एनएचपीसी को प्रतिवादियों को उपकर, कर, शुल्क, उपकर, ट्रांसमिशन प्रभार, फीस आदि, यदि कोई हो, के लिए बिल जारी करने की अनुमति प्रदान करें।
18. इस प्रकार के अन्य तथा अग्रिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद

तारीख :28.11.2024

घोषणा

उपर्युक्त याचिकाकर्ता सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है तथा आगे यह भी घोषणा करते हैं कि संलग्नक तथा सामग्री कागजातों का टाइप किया हुआ सेट, जिस पर भरोसा किया गया है तथा जिसे याचिका के साथ दाखिल किया गया है, मूल प्रतियों की सही प्रतियां हैं/मूल प्रतियों का उचित प्रतिनिधित्व हैं/उनका सही अनुवाद है।

28 नवम्बर 2024 को फ़रीदाबाद में सत्यापित किया गया।

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली

के समक्ष

याचिका संख्या /जीटी/2024

इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 23 और सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3), 35(2) के तहत सलाल पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के ड्रइंगअप हेतु याचिका ।

और इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (कारोबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 23 और सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26, 36 (2), 65(7), 65(8) और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत सलाल पावर स्टेशन के लिए 2024-29 की अवधि के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका के संबंध में ।

याचिकाकर्ता

एनएचपीसी लिमिटेड,

(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,

फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003.

प्रतिवादी(गण):

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,

द मॉल, काली बाड़ी मंदिर के पास, पटियाला – 147 001 (पंजाब)

ईमेल: cmd_enspcl.in@gmail.com

फ़ोन नंबर : 0175-2212005

व 12 अन्य

याचिका की पुष्टि करने वाला हलफनामा

मैं, अजय श्रीवास पुत्र श्री वी.पी. श्रीवास, आयु 52 वर्ष, महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), एनएचपीसी लिमिटेड, निवासी फरीदाबाद, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और निम्नलिखित बताता हूँ:-

1. यह कि अभिसाक्षी याचिकाकर्ता का प्राधिकृत अधिकारी है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है और इसलिए यह शपथपत्र देने के लिए सक्षम है।
2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत संलग्न याचिका मेरे द्वारा दायर की जा रही है और इसकी विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. याचिका में उल्लिखित तथ्यों के पैरा 1 से 16 (भाग-ए), पैरा 1 से 15 (भाग-बी) एवं पैरा 1 से 3 (भाग-सी) तक की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान, विश्वास और कार्यालय में रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर सत्य और सही है।
4. याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक सही हैं तथा संबंधित मूल प्रतियों की सच्ची प्रतियां हैं।
5. यह कि अभिसाक्षी ने विवाद के विषय के संबंध में किसी अन्य फोरम या न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका या अपील दायर नहीं की है।

साक्षी

सत्यापन

आज दिनांक को फरीदाबाद में सत्यापित किया गया कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

साक्षी